रेफरेंस/एलआर/254/2001/टौंक
सरकार बनाम अंजनी कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री सुनील पारीक उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से (2) अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एक्सपार्टी की गयी। **निर्णय** **दिनांक : 08.1.19** यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, टौंक द्वारा प्रकरण संख्या 168/99 में पारित निर्णय दिनांक 9–11–2000 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, मालपुरा ने अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चौसला में मुताबिक कार्यवाही रजिस्टर भू आवंटन दिनांक 18–10–70 के श्री अंजी कुमार पुत्र श्री नारायणलाल जाति ब्रहमण निवासी गंगापुर को आराजी खसरा नंबर 498 /6 रकबा 15 बीघा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जिसको जरिये नामा0 संख्या 156 दिनांक 10–6–71 द्वारा गैर खातेदारी एवं जरिये नामा. संख्या 304 दिनांक 19–1–78 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हाने पर श्री अंजनी कुमार द्वारा श्रीमति तारादेवी धर्मपत्नी रामचन्द सा. मालपुरा को विक्रय कर देने पर जरिये नामा. संख्या 318 दिनांक 21–11–78 द्वारा क्रेता श्रीमति तारादेवी के हक में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आदिनांक जमाबन्दी के खाता नम्बर 228 सं.2052 से 55 पर खाता अंकित है। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार मालपुरा ने अंकित किया कि आराजी खसरा नंबर 498/6 में ही दिनांक 18–12–70 को हुए आवंटन के आधार पर उक्त अंजनी कुमार को पुनः नामा0 संख्या 387 द्वारा गैर खातेदारी अधिकार 15 बीघा भूमि पर दे दिये एवं जरिये नामा. संख्या 62 दिनांक 21–5–93 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है। अंजनी कुमार ने यह भूमि पुनःजरिये रजिस्ट्री रामस्वरुप पुत्र बजरंग लाल ब्राहमण निवासी मोतीपुरा एवं श्री किशनसिंह पुत्र फत्तेसिंह राजपूत चौसाला को खसरा नम्बर 498/6/1 रकबा 15 बीघा का विक्रय कर दिया। अतः प्रार्थी ने नामा. संख्या 387 दिनांक 30–9–84 , नामा0 संख्या 62 दिनांक 21–5–93 को निरस्त कराने का निवेदन किया गया। 3– प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए, जिसकी ओर से कोई उपस्थित नही होने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर उसके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही करते हुए एवं प्रार्थी पक्ष को सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 9.11.2000 द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 4— इस न्यायालय में रेफरेंस प्राप्त होने पर विपक्षी को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये, जो बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की इकतरफा सुनी गयी। 5— योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चौसला में मुताबिक कार्यवाही रजिस्टर भू आवंटन दिनांक 18—10—70 के श्री अंजी कुमार पुत्र श्री नारायणलाल जाति ब्रहमण निवासी गंगापुर को आराजी खसरा नंबर 498 /6 रकबा 15 बीघा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जिसको जरिये नामा0 संख्या 156 दिनांक 10—6—71 द्वारा गैर खातेदारी एवं जरिये नामा. संख्या 304 दिनांक 19—1—78 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हाने पर श्री अंजनी कुमार द्वारा श्रीमति तारादेवी धर्मपत्नी रामचन्द सा. मालपुरा को विक्रय कर देने पर जरिये नामा. संख्या 318 दिनांक 21—11—78 द्वारा क्रेता श्रीमति तारादेवी के हक में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आदिनांक जमाबन्दी के खाता नम्बर 228 सं. 2052 से 55 पर खाता अंकित है। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार मालपुरा ने अंकित किया कि आराजी खसरा नंबर 498/6 में ही दिनांक 18—12—70 को हुए आवंटन के आधार पर उक्त अंजनी कुमार को पुनः नामा0 संख्या 387 द्वारा गैर खातेदारी अधिकार 15 बीघा भूमि पर दे दिये एवं जरिये नामा. संख्या 62 दिनांक 21—5—93 द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है। अंजनी कुमार ने यह भूमि पुनःजरिये रजिस्ट्री रामस्वरुप पुत्र बजरंग लाल ब्राहमण निवासी मोतीपुरा एवं श्री किशनसिंह पुत्र फत्तेसिंह राजपूत चौसाला को खसरा नम्बर 498/6/1 रकबा 15 बीघा का विक्रय कर दिया। अतः रेफरेंस स्वीकार कियाजाकर प्रार्थी के पक्ष में खोले गये नामा. संख्या 387 दिनांक 30—9—84 , नामा0 संख्या 62 दिनांक 21—5—93 को निरस्त कराने का निवेदन किया गया। 6. मैने उप राजकीय अधिवक्ता की बहस एवं तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 18—10—70 के श्री अंजनी कुमार पुत्र श्री नारायणलाल जाति ब्राहमण निवासी गंगापुर को आराजी खसरा नंबर 498 /6 रकबा 15 बीघा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था जिसको जरिये नामा0 संख्या 156 दिनांक 16—6—71 द्वारा गैर खातेदारी एवं जरिये नामा. संख्या 304 दिनांक 19—1—78 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हाने पर श्री अंजनी कुमार द्वारा श्रीमति तारादेवी धर्मपत्नी रामचन्द सा. मालपुरा को विक्रय कर देने पर जरिये नामा. संख्या 318 दिनांक 21—11—78 द्वारा क्रेता श्रीमति तारादेवी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हक में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा जमाबन्दी के खाता नम्बर 228 सं. 2052 से 55 पर खाता अंकित है। चूँकि आराजी खसरा नंबर 498/6 का रकबा अधिक होने के कारण दिनांक 18–12–70 को हुए आवंटन के आधार पर ही उक्त अंजनी कुमार को पुनः नामा. संख्या 387 तस्दीक दिनांक 30–9–84 द्वारा 15 बीघा भूमि पर गैर खातेदारी अधिकार दे दिये गये एवं इस गैर खातेदारी के नामा0 के आधार पर जरिये नामा.संख्या 62 दिनांक 21–5–93 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। इस प्रकार एक ही आवंटन आदेश के आधार पर डबल खातेदारी अधिकार एक ही खसरा नंबर पर दिये गये है । अंजनी कुमार ने यह भूमि पुनःजरिये रजिस्ट्री रामस्वरुप पुत्र बजरंग लाल ब्राहमण निवासी मोतीपुरा एवं श्री किशनसिंह पुत्र फत्तेसिंह राजपूत चौसाला को खसरा नम्बर 498/6/1 रकबा 15 बीघा का विक्रय कर दिया। जिस पर नामा. संख्या 219 पटवारी द्वारा दायर करने पर कोरमग्राम पंचायत द्वारा विक्रेता गॉव में नही रहने, विक्रेता को मौके पर कोई कब्जा नही होने व मौके पर नर्सरी होने के कारण दिनांक 28–3–99 को निरस्त किया गया है। परिणामस्वरुप हस्तगत रेफरेंस स्वीकार योग्य पाया जाता है। 8– अतःउपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी बावत खोले गये नामा. संख्या 387 दिनांक 30–9–84 एवं नामा0 संख्या 62 दिनांक 21–5–93 गैरकानूनी रुप से एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। 9–. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निणित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

रेफरेंस / एलआर / 254 / 2001 / टौंक
सरकार बनाम अंजनी कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए